REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001
Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com

Registered/E-mail

RO/RPCB/SWM/SWM-874/ 76-81 Date: 09/04/2026

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Subject:- Minutes of Public Hearing dated 17.03.2026 conducted for Environmental Clearance of M/s Ronit Stone. for their proposed Plot No. 04 of River Sand (Bajri) (Minor Mineral), Mining Project, Area – 48.20 Ha. (Proposed), Production Capacity – 876763.13 TPA (ROM), Cluster Area:- 84.25 hectare situated at Near Village- Torda, Tehsil- Chauth Ka Barwara, Distt. Sawai Madhopur (Raj.).

Ref:- 1. Office of the District Collector Sawai Madhopur letter no. 415 dated 22.01.2026.
2. Public hearing conducted on 17.03.2026 at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra, Syaroli Gram Panchayat - Syaroli, Tehsil – Wazirpur, District - Sawai Madhopur.**

Respected Sir,

Please find enclosed herewith minutes of public hearing dated 17.03.2026 conducted at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra, Syaroli Gram Panchayat - Syaroli, Tehsil – Wazirpur, District - Sawai Madhopur** for Environmental Clearance of M/s Ronit Stone. for their proposed Plot No. 04 of River Sand (Bajri) (Minor Mineral), Mining Project, Area – 48.20 Ha. (Proposed), Production Capacity – 876763.13 TPA (ROM), Cluster Area:- 84.25 hectare situated at Near Village- Torda, Tehsil- Chauth Ka Barwara, Distt. Sawai Madhopur (Raj.).

Information regarding the public hearing was published by project proponent on 05.02.2026 in newspaper of Sawai Madhopur edition of The Indian Express and on 06.02.2026 in newspaper of Sawai Madhopur edition of Dainik Bhaskar.

The public hearing of the above proposed mining project was conducted on 17.03.2026 and proceeding of the same is hereby enclosed in original along with pen drive of videography carried during public hearing, photography, attendance sheet and copy of newspaper published as above mentioned.

Enclosed:-
1. Minutes of meeting of public hearing in original (4 pages).
2. Attendance sheet of persons present during public hearing in original (3 pages).
3. Videography of public hearing in Pen drive & Photographs.
4. Copy of newspapers published dated 05.03.2026 and 06.02.2026.

Yours sincerely

(Baljeet Meena)
Regional Officer

Signature valid
Digitally signed by Baljeet Meena
Designation: Environmental Engineer
Date: 2026.04.09 10:11:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21528254
eSign 1.0

Scanned with OKEN Scanner

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001
Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com

Copy to the following for information & necessary action :-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur.
2. The District Collector Office, Sawai Madhopur.
3. Additional District Collector, Sawai Madhopur, District - Sawai Madhopur.
4. Analyst Cum Programmer , Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceeding of public hearing on Board's website.
5. M/s Ronit Stone, R/o 158, Jato Ka bas, Shiv Mandir Ke Pichhe, Jasnagar, Nagaur District- Nagaur (Rajasthan).

Regional Officer

o/c

RajKaj Ref No.:
21528254
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Baljeet Meena
Designation : Environmental Engineer
Date: 2026.04.09 20:11:26 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

(Public Hearing Minutes of Meeting)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 17.03.2026 का कार्यवृत

मैसर्स रोनित स्टोन्स द्वारा प्रस्तावित क्लस्टरमय रिवर सैंड (बजरी) (अप्रधान खनिज) खनन परियोजना, एम.एल. संख्या / प्लॉट संख्या-04, परियोजना क्षेत्रफल 48.20 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता – 8,76,763.13 टीपीए (आरओएम) (बिक्री योग्य खनिज- 8,76,763.13 टीपीए और अपशिष्ट- शून्य टीपीए, निकट ग्राम-टोरडा, तहसील- चौथ का बरवाड़ा, जिला- सवाई माधोपुर, (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक पर्यावरणीयजन सुनवाई **दिनांक 17.03.2026 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम पंचायत – भगवतगढ़ के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र", ग्राम टोरडा, ग्राम पंचायत भगवतगढ़, तहसील- चौथ का बरवाड़ा, जिला - सवाई माधोपुर** में श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 26 लोग उपस्थित रहे। (उपस्थिति पत्र **"परिशिष्ट अ"** पर संलग्न है)।

जनसुनवाई हेतु आम सूचना सवाई माधोपुर जिलें के द इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में दिनांक 05.02.2026 एवं दैनिक भास्कर के सवाई माधोपुर संस्करण में दिनांक 06.02.2026 में प्रकाशित करवा दी गई थी एवं मुनादी एक दिवस पूर्व दिनांक 16.03.2026 को ग्राम पंचायत – भगवतगढ़ एवं ग्राम – टोरडा में करवाई गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्री बलजीत मीणा, द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर एवं उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुऐ बताया कि आज की जनसुनवाई ग्राम –टोरडा में प्रस्तावित क्लस्टरमय रिवर सैंड (बजरी) (अप्रधान खनिज) खनन परियोजना के खनन पट्टा प्लॉट न. 04 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह जनसुनवाई आयोजित कि जा रही है। जिसमें खनन परियोजना पर्यावरणीय सलाहकार आपको परियोजना के बारे में विस्तार से बताएगें जिसके उपरान्त इस परियोजना से सम्बन्धित आपके सुझाव एवं आपत्तियाँ ली जाऐगी, जो आप केमरें के सामने मौखिक या लिखित दे सकते हैं।

जिसके उपरान्त खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय प्रकाश (वाइब्रेंट टेक्नो लैब प्राइवेट लिमिटेड) ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से प्लॉट न. 04 से सम्बन्धित खनन परियोजना, खनन

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कार्य से पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (CSR) आदि के बारे में पॉवर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन की सहायता से विस्तार से बताया।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार से सामाजिक सुरक्षा उत्तदायित्व (CSR) के बारे में पुनः विस्तार से समझाने को कहा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया है कि सामुदायिक शिक्षा सुधार के अन्तर्गत स्कुल में ब्लेकबोर्ड वितरण एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृति वितरण इत्यादि में 6 लाख रूपये सालाना एवं सामुदायिक स्वास्थ्य सुधार के अन्तर्गत पेयजल इत्यादि में 8 लाख रूपये सालाना, सामुदायिक कल्याण जैसे की कुओं को सोर्न्दयकरण एवं बीज वितरण में 1 लाख रूपये सालाना साथ ही साथ सरचनात्मक विकास जैसे की हैडपम्प, कुआं आदि का निर्माण, जल संरक्षण हेतु ढॉचा निर्माण, अकुशल श्रमिकों/महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि में 21 लाख रूपये सालाना खर्च किया जाऐगा।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों से अनुरोध किया गया कि आप सभी ने इस परियोजना की जानकारी को सुना, समझा अगर अभी भी कुछ समझ मे नही आया है तो आप पुनः पूछ सकते है तथा इस परियोजना से सम्बन्धित आपके कोई सुझाव आपत्ति हो तो आप खड़े होकर एक- एक करके यहा दर्ज़ करा सकते है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (श्री संजय शर्मा)- पर्यावरण सलाहकार द्वारा आपको बताया गया है कि किस तरह की योजना है तथा ग्रामीणों अथवा प्रभावित लोगों के लिए क्या क्या प्रावधान रखा गया है , आप सब लोगों को इसलिए आमंत्रित किया गया है ता कि इस परियोजना के बारे में आप अपने सुझाव अथवा आपत्ति दर्ज करवा सके।

अरविन्द् कुमार निवासी टोरड़ा ने बताया गया कि नदी के बीच में जो एक पहाड़ी जिसके उपर एक देव स्थान है, उसे पार्वती की डूंगरी कहते है उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए खनन कार्य करते समय ध्यान रखा जाऐ की उस पहाड़ी की नीव को नहीं खोदा जाऐ।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जवाब देते हुए कहा- देव स्थान है तो उसका विकास होना चाहिए , उसको किसी प्रकार का नुकसान होने का सवाल ही नहीं है चाहे वो खनन पट्टे के भीतर ही आता हो, इस खनन परियोजना में केवल बजरी का खनन किया जायेगा जो कि 1.5 मीटर लगभग 6 फिट की गहराई तक करेंगे, उसके नीचे खनन नहीं करेगें।

पर्यावरणीय सलाहकार ने जवाब देते हुए कहा- यह देव स्थान पार्वती की डूंगरी खनन क्षेत्र में नहीं आता है तथा यह देव स्थान पहाड़ी खनन क्षेत्र 150 मीटर की दुरी पर स्थिति है।

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

अति. जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने परियोजना प्रस्ताव को निर्देशित किया की सामाजिक सुरक्षा उत्तदायित्व (CSR) के अन्तर्गत देव स्थान को विकास करें एवं खनन कार्य पर्यावरण एवं खनिज विभाग के नियमों की पालना करते हुऐ किया जाऐ साथ ही साथ ग्राम वासियों को विश्वास दिलाया की इस जनसुनवाई में आपके द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों सरकार तक भिजवाया जाऐगा।

संजय कुमार आरोलिया निवासी भगवतगढ़ - गांव के लोग उट गाढी के द्वारा नदी से सीधे बजरी लाते है क्या वो बंद हो जाएगी ?

पर्यावरणीय सलाहकार ने जवाब देते हुए कहा - अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए ही बजरी खनन का पट्टा जारी किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी - आप कहना चाह रहें है कि गांव के लोगो की बजरी बंद हो जाएगी क्या ? तो आपको बजरी खरीदनी पड़ेगी जिनके पास पट्टा है उनसे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर- इनका पट्टा है उससे माल निकालेंगे फिर इनसे आपको लेनी पड़ेगी।

परियोजना प्रस्तावक - हमारे द्वारा गांव में सस्ते भाव में बजरी दी जाएगी ।

मोहनलाल शर्मा निवासी भगवतगढ़ - गांव के मंदिर के लिए क्या बजरी इनसे लेनी पड़ेगी ?

अतिरिक्त जिला कलेक्टर जवाब - इस खनन पट्टे क्षेत्र में कार्य केवल पट्टाधारी ही करेगा और यहाँ तो बजरी आपको इनसे ही लेनी पड़ेगी अगर आप पट्टाक्षेत्र के बाहर कोई बजरी खनन का कार्य करेंगे तो वह अवैध खनन माना जायेगा और इसके लिए आप पर कार्यवाही भी हो सकती है अतः आप इनसे मिलकर ही इस बारे में बात करे।

सीतादेवी निवासी भगवतगढ़ - गांव में एक खुला कुआँ है जिसमे आये दिन दुर्घटनाएँ होती है इसको ढकने का कार्य किया जाएँ।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर जवाब - दो साल पहले सरकार का एक अभियान चला था जिसमे सभी खुले हुए कुएं और बोरवेल को ढकने का कार्य किया गया था अगर कोई खुला रह गया है तो मैं सचिव को आदेशित करता हूँ की उसको जाल डालकर 4-5 दिनों के अंदर ढकें तथा मुझे सूचित करें। इसमें किसी भी खातेदार भूमि में भी हो तब भी आपको यह कार्य करना होगा।

चिरंजीलाल गौस्वामी निवासी भगवतगढ द्वारा बताया गया की गावं में सांवलाजी के पास में हेडंपम्प खराब है इसके प्रतिउत्तर में ग्राम सचिव द्वारा अवगत कराया गया की मिस्त्री को सूचित कर दिया गया है एवं 1-2 दिन में हेडंपम्प को ठीक करा दिया जावेंगा।

इसके पश्चात श्री अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि और किसी को कोई समस्या है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है उसके बाद जनसुनवाई कि समाप्ति की घोषणा की जाएगी।

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

इसके पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जनसुनवाई के समापन की घोषणा करते हुए सभी ग्रामवासियों को आस्वस्त किया कि जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक रूप से प्राप्त सुझाव एवं आपत्तिया आगे भिजवाई जा रही है, जिनका समिति द्वारा अध्ययन करके ही उचित निर्णय लिया जावेगा एवं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
सवाईमाधोपुर

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी / जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स रोनिट स्टोन द्वारा प्रस्तावित River Sand (Bajri) (Minor Mineral) खनन परियोजना, प्लॉट न. 04, एरिया 48.20 हैक्टर, उत्पादन क्षमता – 876763.13 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल – 84.25 हैक्टर, निकट ग्राम– टोरडा, तहसील – चौथ का बरवाडा व जिला – सवाई माधोपुर (राजस्थान) में स्थित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 17.03.2026 को आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

जनसुनवाई स्थल :– ग्राम– टोरडा, ग्राम पंचायत – भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा के भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र।

दिनांक : 17.03.2026.

समय : प्रातः 11.00 बजे।

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	पद नाम / कार्यालय / ग्राम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	संतोष शर्मा	ADM सवाई माधोपुर	9982323246	[illegible]
2.	Baljeet Meena	RO, RSPCB, SWM	9461239662	[illegible]
3.	Deshraj Meena	खनि कार्यदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग सवाई माधोपुर	8696800499	[illegible]
4.	RAJ KUMAR UTTAM	RSPCB JSF	8204010515	RAJKUMAR
5.	नरसिंह गोचिल ग्राम प्र. भगवतगढ़	भगवतगढ़	9784635043	[illegible]
6.	संजय कुमार [illegible]	भगवतगढ़	9950103925	[illegible]
7.	ओम प्रकाश शर्मा	भगवतगढ़	7891764180	ओम प्रकाश शर्मा
8.	Rajendra [illegible]	भगवतगढ़	8107961366	[illegible]

9.	देवेन्द्र सिंह	भगवतगढ़	6377988714	[signature]
10.	श्याम सिंह	भगवतगढ़	9649962384	[signature]
11.	अरविन्द गुर्जर	भगवतगढ़	9928780881	अरविन्द गुर्जर
12.	मन्जूर हुसैन	भगवतगढ़	7742853200	[signature]
13.	गणेश जैन	भगवतगढ़	9784965143	[signature]
14.	निजामुद्दीन	भगवतगढ़	9785194075	निजामुद्दीन
15.	मोहनलाल	भगवतगढ़	9829181745	मोहन
16.	[illegible]	भगवतगढ़	9928446454	[signature]
17.	[illegible]	[illegible]		
18.	[illegible]	भगवत गढ़	9587347418	[signature]
19.	पंकज कुमार	भगवत गढ़		पंकज कुमार
20.	[illegible]	भगवतगढ़		[signature]
21.	रमेश माली	भगवतगढ़		रमेश
22.	दिनेश [illegible]	भगवतगढ़		दिनेश
23.	UmeshSharma	8005707098 Vibrant Technolab PVT. LTD		[signature]
24.	Ajay Prakash	9828837200. Vibrant Technolab pvt. ltd.		[signature]
25.	Manish Sharma	Jaipur Vibrant Techn		[signature]

Scanned with OKEN Scanner

26.	रवीयाराम P.P.	गाँव - जजनाद तै - खीयावढी जि- नागौर	9460222568	रवीयाराम
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				

Scanned with OKEN Scanner

कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध है:- (1) कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर। (2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर। (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर। (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (6) जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर। (7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर। चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 18.03.2026 को ग्राम पंचायत- श्यारोली तहसील वजीरपुर के ''भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र'' श्यारोली, तहसील- वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव /आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध मे लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आज्ञा से- **(बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी**

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं: 07462-294921 ई-मेल- rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./सं.मा.-874/1964-1967 दिनांक: 02.02.2026

पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स रोनित स्टोन्स (बजरी) River Sand (Minor Mineral) खनन परियोजना, प्लॉट न. 04, एरिया 48.20 हैक्टर, उत्पादन क्षमता 876763.13 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 84. 25 हैक्टर, निकट ग्राम टोरड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा व जिला सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिर्पोट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध है:- (1) कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर। (2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर। (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर। (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (6) जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर। (7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर। चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बावत् भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 17.03.2026 को ग्राम टोरड़ा, ग्राम पंचायत भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा के ''भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र'' में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव /आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध मे लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से- **(बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी**

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं: 07462-294921 ई-मेल- rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./सं.मा.-873/1972-1975 दिनांक: 02.02.2026

पर्यावरण स्वीकती हेत लोक सनवाई के लिए आम सूचना

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं: 07462-294921 ई-मेल- rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./सं.मा.-874/1964-1967 दिनांक: 02.02.2026

पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स रोनित स्टोन्स (बजरी) River Sand (Minor Mineral) खनन परियोजना, प्लॉट न. 04, एरिया 48.20 हैक्टर, उत्पादन क्षमता 876763.13 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 84.25 हैक्टर, निकट ग्राम टोरड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा व जिला सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिर्पोट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध है:- (1) कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर। (2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर। (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर। (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (6) जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर। (7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर। चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बावत् भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 17.03.2026 को ग्राम टोरड़ा, ग्राम पंचायत भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा के ''भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र'' में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव /आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध मे लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से- **(बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी**

GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office: 6th Floor, B Building, Ganga Trueno, Lohegaon, Pune, Maharashtra 411014

NOTICE

To,
PRAVESH SINGH S/D/W OF- VIMLA DEVI , B-09 Boys Boarding Housejayshree Periwal International School Landmark -Mahendra Sej Road Mahapura Jaipur Rajasthan Pin Code - 302026 India **Also At. PRAVESH SINGH** flat no 234 c block at jaisingpura bas bhankrota Jaipur Rajasthan 302018 India
POOJA KAYAT S/D/W OF- SARITA , Kishorpuramundiyaramsarkishorpura Landmark -Ok Jaipur Rajasthan Pin Code - 302012 India

RAJAST
Online Ten
E-tenders a
seals of 2X60
websites w
w w w . e n
http://sppp.
Raj.Samwad/C/2

राज
प्लॉट
क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.
पर्याव
सर्व-साधारण को सू
Mineral) खनन प
(ROM), कलस्टर क्षे
पर्यावरण स्वीकृति के
के समक्ष प्रस्तुत कि
कार्यपालक सार निम्न
जिला परिषद, सवाई
सदस्य सचिव, राजस्
पर्यावरण विभाग, रा
खनिज अभियन्ता, ख
उक्त परियोजना बाव
अधिसूचना संख्या एस
की सूचना जारी कर क
जाता है कि परियोजन
तहसील वजीरपुर के
में समय सुबह 11:0
सुझाव/आक्षेप इस स
कार्यालय, सवाई माध

Scanned with OKEN Scanner